न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 31 / 2022
जीसीएमएस नम्बर : 2022 / 145

अपीलाण्ट

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री मदनलाल
2. कैलाशचंद पुत्र श्री मदनलाल
3. भंवरबाई उर्फ भंवरीबाई पत्नी मदनलाल तमाम निवासीगण वर्तमान देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. हिमांशु पुत्र भगवतीलाल
2. कुलदीप पुत्र श्री भगवतीलाल जाति वैद्य निवासी राजस्थान हास्पिटल के पास, सेक्टर नम्बर, 14 उदयपुर।
3. वासुदेव पुत्र रंगलाल जाति वैद्य निवासी सिरीयारी हाल बोहरा गणेश जी के आगे, सुन्दरवास, उदयपुर
4. गोपाल पुत्र रंगलाल जाति वैद्य निवासी सिरीयारी हाल 22, आनन्दलाल नगर, टेकरी, मादडी रोड, उदयपुर
5. आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल संस्थान, सिरीयारी तहसील मारवाड़ जंक्शन, अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान, सिरीयारी
6. तहसीलदार भूमिधारी मा0जं0

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति –
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना, सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 6

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13-7-2023

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार, खारची (वर्तमान तहसील मारवाड़ जंक्शन) द्वारा ग्राम सिरीयारी के नामान्तरकरण संख्या 1 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 24.12.1954 को अपास्त कराने का निवेदन किया, साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि ग्राम सिरीयारी के पुराने खसरा नम्बर 573, 574, 575 कुल रकबा 16 बीघा भूमि स्थित रही हैं। जिसके नये खसरा नम्बर 1319, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1328, 1329 हैं। पुराने खसरा नम्बरान् की भूमि पंजीबद्ध बेचान से दिनांक 01.12.1954 को पांच व्यक्तियों के बसामलाती खरीद की गई थी, जिनमें नाम रता, रंगलाल, पुखराज (पुका), मदनलाल व भगवतीलाल हैं, जो क्रमशः दादा, बेटा व पोता है, अर्थात रता के दो पुत्र रंगलाल व पुखराज है। रंगलाल का पुत्र भगवतीलाल तथा पुका का पुत्र मदनलाल हैं। अपीलाण्ट मदनलाल के

अति. जिला कलक्टर, पाली

वारिश हैं। पंजीयन दस्तावेज के अनुसार प्रत्येक खरीददार का 1/5वां हिस्सा है। रता की मृत्यु के पश्चात रता हिस्सा उसके दो पुत्रों रंगलाल व पुका में निहित हुआ हैं। इस प्रकार रंगलाल व पुका, प्रत्येक का 1/10वां हिस्सा रहा हैं। दिनांक 24.12.1954 को नामान्तरकरण संख्या 1 नायब तहसीलदार द्वारा अकेले रंगलाल के पक्ष में स्वीकृत किया गया, जो जरिये पंजीयन बेचान दिनांक 01.12.1954 के किया गया, जबकि पंजीयन बेचान में उपरोक्त पांच खरीददार हैं। इस कारण स्वीकृत नामान्तरकरण शून्य हैं। टाईटल व मेरिट के दस्तावेज है, इसलिए अपील की मियाद जानकारी से हैं। स्वीकृत नामान्तरकण भी शून्य हैं। रता, पुका, मदनलाल व भगवतीलाल का नाम छोड कर ना0क0 रंगलाल के नाम दर्ज करने का नायब तहसीलदार को अधिकार नहीं था। नामान्तरकरण एकतरफा है, जो बिना नोटिस एवं बिना सुनवाई के स्वीकृत किया गया है, जो क्षेत्राधिकार के बाहर स्वीकृतसुदा हैं। इस कारण म्याद के सुस्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं हैं। मदनलाल देवगढ में निवासरत था, खाने–कमाने हेतु गया हुआ था, इस कारण जानकारी का अभाव था। नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 24.12.1954 बिना विधिक प्रक्रिया से स्वीकृतसुदा व शून्य है। अपीलाण्ट के हक–हकूक समाप्त किये है, मेरिट के तथ्य हैं। इस कारण देरी का तकनीकि आधार सुसंगत नहीं हैं। अपीलाण्ट के पिता मदनलाल व दादा पुका उर्फ पुखराज का 2/5वां हिस्सा खरीद का था, परन्तु नामान्तरकरण मे नाम दर्ज नहीं किया गया। इस कारण जानकारी से मयाद मानी जायेगी। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 26.05.1999 के पारिवारिक समझौता होना बताया है। यह समझौता दस्तावेत देखने मात्र से "रता" जो रंगलाल व पुखा का पिता है। पंजीयन बेचान में 1/5वां हिस्सा हैं। इस 1/5वां हिस्सा तक का समझौता हैं। रता के 1/5वां हिस्सा में पुका यानि अपीलाण्ट का 1/10वां हिस्सा आता हैं। मदनलाल की ओर से समझौता करना दर्शित है। पुका व मदनलाल के 2/5वां हिस्से का कोई समझौता नहीं हैं। रंगलाल को सम्पूर्ण खसरे की भूमि में अधिकार ही पैदा नहीं हुआ, तो दिनांक 27.05.1994 को वसीयतनामा करने, सम्पूर्ण भूमि रंगलाल व उसके वारिशान को हस्तान्तरण का अधिकार ही नहीं था। पारिवारिक विवाद, हक अधिकार में तीसरे पक्ष को दखल करने, पूर्व की स्थिति बाबत तथ्य बताने का अधिकार नहीं हैं। बाद के तमाम दस्तावेज से अपीलाण्ट बाध्य नहीं हैं, न ही नामान्तरकरण अपील, नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 24.12.1954 में देखे जाने योग्य है। इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण पर पारित आदेश को अपास्त किया जावे। जैर अपील नामान्तरकरण को पूर्व में कहीं भी चुनौती नहीं दी गई है तथा नामान्तरकरण निरस्ती का अनुतोष भी नहीं मांगा गया हैं। इस कारण अपील चलने योग्य नहीं हैं। पश्चातवर्ती क्रेता आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल द्वारा दिनांक 27.05.1999 को भूमि खरीद की गई, अपीलाण्ट को जानकारी नहीं रही हैं, न ही अपीलाण्ट को सूचित किया गया एवं न ही अपीलाण्ट ने अपना हिस्सा बेचान किया हैं तथा न ही कोई प्रतिफल प्राप्त किया हैं। इस कारण पश्चातवर्ती शून्य नामान्तरकरण से हक–अधिकारों से अपीलाण्ट को महरूम नहीं किया जा सकता हैं। अपीलाण्ट की भूमि पर निर्माण व कब्जा तीसरे पक्ष का नहीं हैं, न ही रंगलाल के वारिशान अपीलाण्ट की भूमि का कब्जा दे सकते हैं। बिना विधिक प्रक्रिया के शून्य नामान्तरकरण रंगलाल के नाम पंजीयन बेचान के स्वीकृत किया गया, जबकि क्रेता 5 सम्मिलित थे। हक–अधिकार व मेरिट के तथ्य हैं। इस कारण जानकारीसे अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की हैं। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार करवाने एवं जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त कराने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1989 पेज 45, आर0आर0टी0 2023 पेज 14, आर0आर0टी0 2003 पेज 63, आर0आर0टी0 2005 (2) पेज 1366 एवं आर0आर0डी0 2002 पेज 65 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि अपीलाण्ट्स की अपील प्रार्थना पत्र धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज़ योग्य हैं। वादग्रस्त नामान्तरकरण इस अधिनियम से पूर्व का हैं। स्वीकृत रूप से अपीलाण्ट ने जिस म्यूटेशन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है, वह म्यूटेशन दिनांक 24.12.1954 को स्वीकृत हुआ है, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने स्वीकृत रूप से अपील करीब 68 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है, जो स्वीकृत रूप से म्याद बाहर है और सम्पूर्ण अपील

68 वर्ष की देरी का कोई कारण और आधार दिन प्रतिदिन की देरी के स्पष्टीकरण सहित दर्ज नहीं किया हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई अपील मियाद बाहर होती है, तो उसके दिन प्रतिदन देरी का स्पष्टीकरण दिया जाना और दिन प्रतिदिन की देरी का उचित और पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण बताया जाना आवश्यक हैं और यदि दिन प्रतिदिन की देरी का उचित और पर्याप्त कारण, उचित और पर्याप्त स्पष्टीकरण और संतोषजनक कारण नहीं बताया जाता है, तो अपील पोषणीय नहीं रहती है और अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य होती हैं। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि अपील में गलत और झूठे तथ्य दर्ज किये जाते है, तो अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ नहीं किया जा सकता हैं। अपीलाण्ट ने जो भी तथ्य दर्ज किये है, वे गलत व झूठे दर्ज किये है, इस कारण भी अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य हैं। उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पूर्वज रंगलाल जी के नाम भरा गया था, तब से लेकर यह अपील प्रस्तुत करने तक अपीलाण्ट के दादाजी पुखराज जी को वादग्रस्त म्यूटेशन की जानकारी होते हुए भी उन्होने अपने जीवनकाल मे कभी म्यूटेशन पर आपत्ति नहीं की थी, उनके पश्चात अपीलाण्ट मदनलाल जी ने वादग्रस्त म्यूटेशन की जानकारी होते हुए भी उन्होने अपने जीवनकाल में कभी म्यूटेशन पर आपत्ति नहीं की थी, इस कारण भी अपीलाण्ट्स के पूर्वजों को जानकारी होते हुए भी वादग्रस्त म्यूटेशन के विरूद्ध अपील पेश नहीं करने से यह अपील म्याद बाहर होने से अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट के पूर्वज रंगलालजी ने अपने जीवनकाल में पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 27.05.1994 के जरिये अपनी सम्पति अपने पुत्र भगवतीलाल, वासुदेव, गोपाल को वसीयत की थी। रंगलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात म्यूटेशन संख्या 814 दिनांक 13.06.1997 को उनके पुत्रों भगवतीलाल, वासुदेव, गोपाल के नाम भरा गया, तब भी अपीलाण्ट्स व उनके पूर्वजों ने उक्त म्यूटेशन की जानकारी होते हुए भी कभी भी म्यूटेशन पर आपत्ति नहीं की थी, इस कारण भी अपीलाण्ट्स की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य हैं। अपीलाण्ट के पूर्वज मदनलालजी व अन्य ने अपने जीवनकाल में दिनांक 26.05.1999 को एक "पारिवारिक इकरारनामा" बहक भगवतीलाल, वासुदेव, गोपाल के पक्ष में निष्पादित किया और उसमें वादग्रस्त सम्पति रेस्पोडेन्ट के पूर्वज रंगलालजी की व उनके बाद रेस्पोडेन्ट की होना स्वीकार किया था तथा वादग्रस्त सम्पति में मदनलाल जी के पिता पुखाजी का कोई हक हिस्सा नहीं होना स्वीकार किया था और यह भी स्पष्ट किया था कि उन्हे पुखाजी ने ही यह बात बताई थी कि वादग्रस्त सम्पति में उनका कोई हक हिस्सा नहीं हैं। उक्त इकरारनामा नोटेरी से तस्दीकसुदा हैं और उस इकरारनामा के स्टाम्प भी मदनलालजी ने ही खरीद किये थे। इस कारण भी अपीलाण्ट्स के पूर्वजों को जानकारी होते हुए और उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स एवं उनके पूर्वजों के हक हिस्से को स्वीकार करने और अपना कोई हक हिस्सा क्लेम नहीं करने से भी यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य हैं। भगवतीलाल, वासदेव, गोपाल ने जरिये पंजीबद्ध बेचान नामा उक्त वादग्रस्त सम्पति रेस्पोडेन्ट आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल संस्थान, सिरीयारी को दिनांक 27.05.1999 को बेचान की, जिसकी जानकारी भी अपीलाण्ट्स को प्रारम्भ से रही हैं। उक्त पंजीबद्ध बेचाननामा को अपीलाण्ट्स ने किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी और उक्त बेचाननामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 914 दिनांक 24.07.1999 रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के नाम भरा गया, जिसकी जानकारी भी अपीलाण्ट् एवं उनके पूर्वजों को प्रारम्भ से थी। जिसे भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। इस कारण भी अब इतने म्यूटेशन भरे जाने और पंजीबद्ध बेचाननाम के अस्तित्व में रहते हुए यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य हैं। अपीलाण्ट्स ने अपने हक अधिकारों के विरूद्ध इस म्यूटेशन को बताया है और इसे खारिज कराने का अनुतोष चाहा हैं, जबकि अपीलाण्ट्स के हक अधिकार इस म्यूटेशन अपील में तय नहीं हो सकते है, उस हेतु अपीलाण्ट्स को सक्षम न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद लाना होगा और उसी वाद में अधिकार तय होंगे, जो वाद दिनांक 24.11.2020 से श्रीमान् सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय मारवाड़ जंक्शन के न्यायालय में विचाराधीन हैं, इस कारण भी अपीलाण्ट्स की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज़ योग्य हैं। उक्त वाद दिनांक 24.11.2020 से विचाराधीन है और उक्त वाद में अपीलाण्ट्स ने वादग्रस्त सम्पति रंगलालजी के नाम होना और उसके पश्चात्

अति. जिला कलक्टर, पाली

भगवतीलाल, वासुदेव, गोपाल की होना एवं उनके पश्चात अपीलाण्ट्स की होना दर्ज किया है और वादग्रस्त म्यूटेशन की जानकारी होना स्वीकार किया है अर्थात स्वीकृत रूप से अपीलाण्ट्स को वादग्रस्त म्यूटेशन की जानकारी दिनांक 24.11.2020 को थी, उसके बावजूद अपीलाण्ट्स ने यह अपील डेढ–दो वर्ष बाद म्याद बाहर पेश की है, जो खारिज़ योग्य हैं। अपील में दर्ज तथ्य सही नहीं होकर सही तथ्य उपरोक्त पद अनुसार हैं। अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को छुपाते हुए एवं तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किये है। उक्त वादग्रस्त सम्पति के एकमात्र मालिक रंगलालजी थे और रंगलालजी ने अपनी सम्पति वसीयत के द्वारा, उपरोक्तानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वज भगवतीलाल एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 वासुदेव तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 गोपाल के नाम की थी। अपीलाण्ट के पिता मदनलाल ने भी पारिवारिक सहमति इकरारनामा के द्वारा उपरोक्तानुसार अपनी सहमति दी थी। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आता है और तथ्यों को छुपाता है, उसे किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता हैं। इस कारण भी अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज़ योग्य हैं। वादग्रस्त म्यूटेशन विधि अनुसार भरा गया था, जो किसी भी सूरत में खारिज़ होने योग्य नहीं हैं तथा अपीलाण्ट्स किसी भी आधार पर अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट्स की अपील व्यय सहित खारिज़ की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में डब्ल्यू.एन.एल. 2013 (4) पेज 43 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का अनुशीलन किया। प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के अवलोकन से निम्न विधिक बिन्दु परीलक्षित होते है – प्रकरण में प्रथमतः इस तथ्य का निर्धारण किया जाना है कि हस्तगत अपील मियाद बाधित है अथवा नहीं ? प्रकरण में जिस नामान्तरकरण को अपीलाण्ट द्वारा चुनौती दी गई है, वह नामान्तरकरण तत्कालीन नायब तहसीलदार खारची द्वारा दिनांक 24.12.1954 को स्वीकृत किया गया हैं। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण की अपील दिनांक 06.07.2022 को प्रस्तुत की गई है, जो नामान्तरकरण स्वीकृत होने के 67 वर्ष 6 माह के असाधारण विलम्ब पश्चात प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाण्ट द्वारा इस असाधारण विलम्ब का कोई संतोषप्रद कारण स्पष्ट नहीं किया हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें दिनांक 09.05.2022 को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी होना जाहिर किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर जो दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये है, उनमें स्वयं अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन के समक्ष धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 25.11.2020 को वाद प्रस्तुत किया था, उस वाद पत्र के पेज संख्या 4 में स्वयं अपीलाण्ट/वादी द्वारा दिनांक 01.12.1954 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया जाना एवं उसके आधार पर रंगलाल के नाम नामान्तरकरण दायर किये जाने का इन्द्राज किया हैं। इससे यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से ही रही हैं। यह मान भी लिया जाता है कि कोरोना महामारी को लेकर मियाद के प्रावधानों में छूट प्रदान की गई थी, तो भी नामान्तरकरण दायर होने से 67 वर्ष 6 माह के असाधारण विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु कोई ठोस कारण अपीलाण्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किये है, उनका उद्धरण इस प्रकार है – आर0आर0डी0 1989 पेज 23 लामूराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "Rajasthan Land Revenue Act, Section 75-- Order which is void an initio be challenged at any time- Appeal foled after more then 18 years but immediatery after kmowledge, is not be barred" उक्त प्रकरण में सर्वे एवं रिकॉर्ड ऑपरेशन के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के सम्बन्ध में उक्त सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जबकि हस्तगत प्रकरण के तथ्य इससे भिन्न हैं। इस कारण यह न्यायिक सिद्धान्त सम्माननीय अवश्य है, किन्तु प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होते हैं।

अति. जिला कलक्टर, पाली

इसी प्रकार आर0आर0टी0 2023 (1) पेज 14 मृतक कादर खान के का0मु0 व अन्य बनाम अखेसिंह व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि " सिविल प्रक्रिया संहिता 1908–आदेश 41, नियम 3ए–परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5 –डिक्री दिनांक 10.06.1960 के विरूद्ध अपील पेश करने में 42 वर्ष का विलम्ब–वाद व जवाबदावा एक ही दिन पेश किये और उसी दिन वाद डिक्री किया–वादी की मृत्यु हुई और वाद नाबालिग विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाये बिना मृतक के नाम वाद पेश किया और वाद पत्र एक अजनबी गोविन्ददास द्वारा हस्ताक्षरित किया गया–वाद के पंजीयन के पूर्व जवाबदावा पेश–निर्णीत, निर्णय में अवैधता या शिथिलता नहीं हैं।" उक्त न्यायिक सिद्धान्त वाद में हुई कार्यवाही को रेखांकित करते हुए अभिनिर्धारित किया गया है, जबकि प्रकरण हाजा में नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है, जो भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व स्वीकृत किया गया हैं। इसके अतिरिक्त उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत करने में हुए असाधारण विलम्ब के क्षमन हेतु कोई संतोषप्रद युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया गया हैं। इस कारण यह न्यायिक सिद्धान्त सम्माननीय अवश्य है, किन्तु प्रकरण हाजा के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

इसी प्रकार आर0आर0टी0 2023 (1) पेज 63 ग्राम पंचायत टूंकलिया बनाम मैसर्स जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड, गोटन में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 84 सपठित 9–परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा–5– तहसीलदार के आदेश के विरू0 अपील पेश करने में देरी–जिला कलक्टर ने विलम्ब माफ किया और गुणागुण पर अपील निर्णीत करने हेतु तारीख नियत की–निगरानी–बिना क्षेत्राधिकारिता के तहसीलदार ने खसरा नम्बर 395 को गोचर होना घोषित किया–राज्य सरकार ने विवादित भूमि पर 1974 से माईनिंग लीज स्वीकार की–गोचर भूमि घोषित करने के पूर्व अप्रार्थी को पहले खनन पट्टा रद्द करना चाहिये था और राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद गोचर घोषित की जा सकती है–धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निर्णीत किया, इसलिये यह अन्तरिम आदेश नहीं है–निर्णीत, आदेश में अवैधता नहीं हैं।" यह न्यायिक सिद्धान्त सम्माननीय अवश्य है, किन्तु प्रकरण हाजा के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

प्रकरण में निहित न्यायिक बिन्दु के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने न्याय निर्णयों में जो व्यवस्था प्रदान की है, उनको निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है – आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार 2012(12) Weekly Law Notes 16 page 194 में प्रतिपादित किया कि (A) Civil Procedure Code, 1908 –Order 5 Rule 15- Service of

अति. जिला कलक्टर, पाली

Summons-Adult member of the family-Defendant absent when summons sought to be served- Service can be effected on the father of the defendant. (B) Civil Procedure Code, 1908- Order 9 Rule 13-Summons not duly served-Defendant absent when service of summons was sought to be effected- Father of defendant refused to accept the summon the same was affixed on the premises-Appellant not examining his father to prove that summon had not been refused by him-Application to set aside ex-parte decree rightly rejected by trial Court. इसी प्रकार 2016(3)CJ(Civ.)(Raj.) page 1406 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec. 14-Earlier suit was related in regard to properties of firm which was claimed on the ground of award passed by arbitrators-Subsequent suit has been filed for partition of properties of firm-Both the proceedings are same and one.

Limitation Act, 1963-Sec. 14-Scope-Party who invokes the Section, should not be guilty of negligence, lapse or inaction-Further, there should be no pretended mistake intentionally made with a view to delaying the proceedings or harassing the opposite party. इसी प्रकार RRT 2017(1) Jitendra singh (Dr.) vs. Nirvan Charitable Trust page 711 में प्रतिपादित किया कि Litigant should be vigilant enough & should keep himself informed about the pending proceedings. इसी प्रकार RRD 1994 Page 697 में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, Section 5-Appellant's plea of lack of knowledge of impugned order, not substantiated by record-Condonation of delay refused and appeal dismised as time bared. (Paras 3-4) (B) Affidavit-Appellant found to have filed false affidavit for obtaining stay order-Board directed prosecution of appellant for submiting false affidavit deliberately knowing full well that it was false. (Para 5) . इसी प्रकार RRD 1994 page 25 में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, Section 5 – Application for condonation of delay did not contain any material explaining delay-Collector also not considering whether there ws satisfactory explanation-Condonation of delay was not proper Mere fact of submission of application did not justify condonation. (B) Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Receptacles) Rules, Rule 4-Land recorded as Banjar-Mention of word "talai" in column not explained allotment of talai is not prohibited by the rules. इसी प्रकार 2013(3) Weekly Law Notes 68 6(SC) में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, 1963-Sec. 5-Sufficient Cause-Construction-term should be considered with pragmatism in Justice oriented approach rather than technically insisting to explain delay of every day-Delay in Official Business requires its pedantic approach from Public Justice perspective.

(B) Limitation Act, 163, -Dec, 5- Sufficient Cause-Appellant obtaining decree for permanent injunction against Respondent State in 1969 Execution applied in 2009-Objection of the Respondent under Sec. 47 CPC rejected-on 17-08-2010-Respondent filed another objection on 15-09-2011 for recall of attachment-Objection dismissed on 15-09-2011-Revision filed before District Judge against order dated 17-08-2010-District Judge condoned the Delay and High Court agreed with the same-Held, No sufficient cause made out merely becaude respondent is the State the delay cannot be condoned- Delay in filing execution case cannot be a Ground to condone the delay in filing Revision. इसी प्रकार 2014(4) RLW Page 3173 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963, Sec. 5_ Condonation of delay- Appeal against rejection of suit for specific performance filed after delay of 1916 days i.e. about 5-1/4 Years- the ground is lack of communication with the lawyer- Held- The assertions appear to be incorrect_ they do not evoke confidence- it clearly reflects negligence lack of action deligently and inactivity on the part of appellants in not contaction their lawyer for such a long period – No case of condontion of delay is made out in absence of affidavit of lawyer in their support. इसी प्रकार RRD 1988 page 695 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, Section 5 Mere assertion of remissness on part of Advocate

अति. जिला कलेक्टर, पाली

without support of affidavit form Advocate cannot be relied upon for extending limitation. इसी प्रकार RRD 14.03.09 page 150 में प्रतिपादित किया कि Rajasthan Tenancy Act, Sections 88, 89-Limitation Act, Section 5 Appeal against order of R.A.A.- Held, appeal filed on behalf of Govt. beyond the period of limitation of 90 days- Tehsildar in his affidavit has attested serial No. 1 and 2 only and has said nothing about the reasons mentioned in serial Nos. 3 & 4 in the application – No reasons have been given about the delay of three years under the circumstances appeal is hopelessly time barred and delay of three years cannot be condoned and considered on merits-Order of R.A.A. confirmed. इसी प्रकार RRD May, 2007 page 311 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, Section 5-C.P.C., Section 100-Delay in filing secong appeal-Judgment passed by first appellate court on 16.08.2003-Appeal filed by appellant on 19.12.2003 claiming knowledge of judgment on 07.12.2033 No explanation given for not filing appeal immediately-Held, appellant was taking the matter leisurely and at his own convenience-Delay, not condoned. DNJ (Raj.) 1999 page 134 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec-5 Condonation of delay-Delay of 83 days in filing appeal- Objection that appellant was not duly represented in trial Court in unfounded- Sufficient cause for condonation of delay not shown- File requires to be routed from so many channels is no sufficient cause-Held Appeal is time barred & dismissed. DNJ(Raj.) 1999 page 319 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act 1963 Sec. 5- Motor Vehicle Act, 1988-Sec. 173- Delay of 47 Days in filing appeal-Delay not properly explained- officer of Regional Office did not care to take prompt action in the matter of filling appeal-Complex procedure for routing of the file through many officers is not a sufficient cause to defeat the purpose-Held, Delay is fatal & alppeal dismissed as time barred. इसी प्रकार RLW-pf56 21.12.2013 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act,1963, Sec. 5- Application for condonation of delay in filing intra court appeal-Appeal filed after 9 years, 11 months and 14 days of the expiry of period of limitation- Alleged mistake of the Advocate Held- Delay has not been properly explained- No sufficient cause for condonation of delay- Application dismisses. इसी प्रकार RRT 127 page 117 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963 Sec. 5 Code of civil Procedure, 1908-Sec.100-Condonation of delay-Delay of 2344 days in filing appeal-In action or indolence on the part of the litigant- Liberal approach cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay-Held, Application &appeal are liable to be dismissed. इसी प्रकार RJt 2015(2) page 1273 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-sec. 5-Code of Civil Procedure, 1908- Order 47, Rule 1- Condonation of delay-Delay of 2327 days in filing review petition-Writ petiton decided on 24.04.2007 in presence of the counsel-When the petitioner enquired about the status of the writ non explained condonation of delay is not entertainble&dismissed. इसी प्रकार RJT 2015(1) page 342 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec. 5-0 code of Civil Procedure, 1908-Sec. 96- Delay of more than three years in filing appeal-Notice of execution of decree served upon the petitioner on 06.01.2012& submitted the reply on 17.04.2012 False averment made in the application that the fact of passing of decree come into knowledge on 17.09.2013-Held, Court below has not committed any illegality or material irregularity in rejection the application. उपरोक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील प्रकरण एवं निर्णय की जानकारी नहीं रही हो तथा उक्त कारण के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य नही है।

यदि इस प्रकरण को गुणावगुण पर भी देखा जाता है तो यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या समक्ष न्यायालय में अधिकारों की घोषणा हेतु वाद के विचाराधीन होते हुए नामान्तरकरण अपील के जरिये अधिकारों का निर्धारण किया जा सकता हैं। इस बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील नामान्तरकरण में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट्स द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मारवाड जंक्शन के समक्ष खातेदारी घोषणा, स्थाई व्यादेश एवं कब्जा प्राप्त किये जाने हेतु सुसंगत धाराओं के तहत वाद दायर करवाया है, जो विचाराधीन हैं। .इस सम्बन्ध में डब्ल्यू.एन.एल. 2013 (4) पेज 43 जगदीश व अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेंच) की खण्डपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "(A) Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 133- Mutation Entries- Nature of-Mutation entries are only fiscal in Nature-Such entries are always subject to final decision of competent court about the Right of the Parties" इसके अतिरिक्त भी म्यूटेशन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, उससे सिविल वैधानिक अधिकारों को तय नही किया जा सकता है। सिविल व वैधानिक अधिकार मात्र नियमित वाद से ही तय किया जा सकता है। जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त रविन्द्र कुमार बनाम स्वप्न चौधरी व अन्य के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रतिपादित किया कि पक्षकारों में सिविल अधिकारों का निर्णय सिविल कोर्ट के जरिये ही तय किया जा सकता है। इसी प्रकार दूलसिंह बनाम गायडसिंह के मामले में राजस्व बोर्ड ने प्रतिपादित किया कि खातेदारी हक अधिकार म्यूटेशन प्रक्रिया के जरिये अपास्त नही किये जा सके, क्योंकि नामान्तरकरण कार्यवाही में गम्भीर प्रश्न निर्णित नही किये जा सकते है। उसके लिये नियमित वाद ही एकमात्र उपाय है। इनसे यह स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है, जो कि कानूनी रूप से नियमित वाद के अध्यधीन ही मानी गई हैं। चूंकि हस्तगत अपील में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन है, जिसमें पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, जवाब आदि के आधार पर कायम तनकीयात, उन तनकीयात पर संग्रहित साक्ष्यों की रोशनी में तनकीयात के विनिश्चय पश्चात वाद में निर्णय किया जाना हैं तथा उक्त निर्णय के आधार पर ही हक अधिकारों का निर्धारण किया जायेगा। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण कार्यवाही के जरिये अधिकारों का निर्धारण किया जाना विधि सम्मत नहीं हैं। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन पाई जाती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विशुद्ध रूप से मियाद के प्रावधानों से बाधित होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप में अपील मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर भी बलहीन होने से खारिज़ की जाती हैं। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली